# न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
## पीठासीन अधिकारीः– कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 61 / 2022

| वादी | बनाम | प्रतिवादी |
|---|---|---|
| 1. धनश्यामदास पुत्र धूलदास जाति वैष्णव निवासी रेपडावास तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान | | 1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली |

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**

**उपस्थितिः–**

1. श्री पुनीत दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित
2. तहसीलदार सोजत उपस्थित अप्रार्थी

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

**–: निर्णय :–** दिनांक – 29/08/2024

अधिवक्ता वादी ने राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा मेव तह0 सोजत में खसरा नम्बर 73, 74 कुल खसरा02 कुल रकबा 2.4900 हैक्टर की आई हुई स्थित है। राजस्व रेकर्ड में वादी बतौर खातेदार 1/5 हक हिस्सा निहित है तथा उसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है। वादस्थ कृषि भूमि वादी के पिता धुलाराम की खातेदारी कृषि भूमि थीं वादी के पिता का स्वर्गवास होने के पश्चात फौतेदगी नामान्तरण में वादी का नाम सहवन से घर का लाड प्यार का नाम गणेशमल राजस्व रेकर्ड में वादी के सही एवं दस्तावेजी का अवलोकन किये बिना ही धनश्यामदास के स्थान पर दर्ज कर दिया गया था। वादी स्वयं अनपढ व निरक्षर वृद्ध पुरुष होने व राजस्व रेकर्ड की जानकारी के अभाव में उक्त त्रुटि के संबंध जानकारी पूर्व में नही हो पाई। गलत नांम इन्द्राज हो जाने से कइ सरकारी, अर्द्धसरकारी विभाग में प्राप्त योजनाओं से वंचित होना पड रहा है व अन्य लाभ से भी वंचित होना पड रहा है। जिससे वादस्थ भूमि खसरा नम्बर 73 व 74 के राजस्व रेकर्ड में दुरस्ती कर वादी गणेशमल के स्थानपर धनश्यामदास के नाम से खातेदारी घोषणा किये जाने की ईश्तदुआ की है। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया।

प्रतिवादी तहसीलदार सोजत जबाब दावा पेश नही करना चाहने से जबाब का अवसर समाप्त कर जबाब दावा बन्द किया जाता है। प्रकरण में तहसीलदार सोजत से रिपोर्ट प्राप्त की गई । तहसीलदार सोजत ने पत्रांक /रीडर/2024/1247 दिनांक 29.08.2024 के जरिये रिपोर्ट पेश की सा0मि0 हो। तहसीलदार सोजत रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि धनश्यामदास पुत्र धुलदास व गणेशराम पुत्र धुलदास एक ही व्यक्ति है।

बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी द्वारा व्यक्त किया कि वादी का सही व वास्तविक नाम गणेशराम पुत्र धुलदास

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला–पाली

है। वादग्रस्थ कृषि भूमि वादी के पिता धुलाराम की खातेदारी कृषि भूमि थी वादी के पिता का स्वर्गवास होने के पश्चात फौतेदगी नामान्तरण में वादी का नाम सहवन से घर का लाड प्यार का नाम गणेशमल राजस्व रेकर्ड में वादी के सही एवं दस्तावेजी का अवलोकन किये बिना ही धनश्यामदास के स्थान पर दर्ज कर दिया गया था। वादी स्वयं अनपढ व निरक्षर वृद्ध पुरुष होने व राजस्व रेकर्ड की जानकारी के अभाव में उक्त त्रुटि के संबंध जानकारी पूर्व में नही हो पाई। गलत नाम इन्द्राज हो जाने से कइ सरकारी, अर्द्धसरकारी विभाग में प्राप्त योजनाओं से वंचित होना पड रहा है व अन्य लाभ से भी वंचित होना पड रहा है। जिससे वादग्रस्थ भूमि खसरा नम्बर 73 व 74 के राजस्व रेकर्ड में दुरस्ती कर वादी गणेशमल के स्थान पर घनश्यामदास के नाम से खातेदारी घोषणा किये जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में प्रतिवादी तहसीलदार सोजत ने कोई आपति नही होना जाहिर किया।

हमने पंत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद, जवाब दावा, फहरिस्त मय दस्तावेजात, स्वतंत्र पक्ष के लिये गये बयानात का अध्ययन कर तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट एवं बहस पर गौर कर मनन किया। वस्तुतः तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट एवं प्रस्तुत फहरिस्त मय दस्तावेजात से यह स्पष्ट होता है कि वादी का सही व वास्तविक नाम गणेशराम पुत्र घनश्याम दास हैं। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी की वांछित ईश्तदुआ अनुसार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

-: आदेश :-

अतः अधिवक्ता मय वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा मेव के खसरा नम्बर 73 व 74 के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम गणेशमल के स्थान पर घनश्यामदास नाम से रेकर्ड दुरूस्त किया जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 29/08/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

(आ०20 नियम 6-7 जाब्ता दीवानी)

# डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

## अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

## बइजलाश श्री कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

वादी बनाम प्रतिवादी

| वादी | प्रतिवादी |
| --- | --- |
| 1. धनश्यामदास पुत्र धूलदास जाति वैष्णव निवासी रेपड़ावास तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान | 1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली |

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर०टी०एक्ट० 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956**

राजस्व वाद संख्या :– 61 / 2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री पुनीत दवे तथा प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं सरहद मौजा मेव के खसरा नम्बर 73 व 74 के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम गणेशमल के स्थान पर धनश्यामदास नाम से रेकर्ड दुरूस्त किया जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील / तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 29/08/2024 को जारी की गई।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

| मद्दई | रूपया | न.पै. | मुद्दायला | रूपया | न.पै. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| स्टाम्प अरजीदावा | शून्य | शून्य | स्टाम्प वकालतनामा | शून्य | शून्य |
| स्टाम्प वकालतनामा | शून्य | शून्य | स्टाम्प अरजी | शून्य | शून्य |
| स्टाम्प वजह सबूत | शून्य | शून्य | महनताना वकल | शून्य | शून्य |
| महनताना वकील पर | शून्य | शून्य | खर्चा गवाहान | शून्य | शून्य |
| खर्चा गवाहान | शून्य | शून्य | फीस कमिश्नर | शून्य | शून्य |
| फीस कमिश्नर | शून्य | शून्य | बाबत इजराय हुक्मनामा | शून्य | शून्य |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | शून्य | शून्य | मुतफर्रिक | शून्य | शून्य |
| मतफर्रिक | शून्य | शून्य | | | |
| मद्दई | रूपया | न.पै. | मुद्दायला | रूपया | न.पै. |